भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून

संख्या 1405/भवन-III/कैन्टीन/भू०खनि०नि०/2026-27, दिनांक 31 जुलाई, 2026

विभागीय कैन्टीन के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, 'खनिज भवन', भोपालपानी, देहरादून में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी एवं निदेशालय में आने वाले आंगन्तुकों के जलपान एवं खान-पान की व्यवस्था किये जाने हेतु विभागीय कैन्टीन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये अनुभवी, पंजीकृत एजेंसियों, कैटरर्स और सेवाप्रदाताओं से आवेदन/कोटेशन (दर सूची) आमंत्रित की जाती है, जो भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, भोपालपानी, देहरादून में सील बन्द लिफाफे में जमा किया जाना है। अर्हता सम्बन्धी शर्ते निदेशालय के भण्डार अनुभाग एवं विभागीय **वेबसाईट** dgm.uk.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, 'खनिज भवन', भोपालपानी, देहरादून में विभागीय कैन्टीन के सफल संचालन हेतु इच्छुक आवेदक विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से **दिनांक 07.08.2026 तक** किसी भी कार्य दिवस में **प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक** निदेशालय में अपना आवेदन सील बन्द लिफाफे में जमा कर सकते हैं।

राजपाल लेघा
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
''खनिज भवन'' भोपालपानी, देहरादून

विभागीय कैन्टीन के सफल संचालन हेतु अर्हताएं/शर्तों का विवरणः–

पात्रता की शर्तेः–

1. आवेदक के पास वैध FSSAI Registration/License होना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता एवं PAN उपलब्ध होना चाहिए।
3. आवेदक द्वारा यह शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि उसे किसी भी राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
4. खाद्य सामग्री तैयार करने वाले कार्मिकों का स्वास्थ्य संतोषजनक होना चाहिए तथा स्वच्छ वर्दी, एप्रन एवं कैप का प्रयोग अनिवार्य होगा।
5. अनुभवी आवेदक को कैन्टीन संचालन किये जाने हेतु प्रथमिकता दी जायेगी।
6. कैन्टीन के संचालन हेतु निर्धारित न्यूनतम किराया रू0 1000/– (एक हजार मात्र) प्रति माह से अधिक की बोली लगाई जानी है, तथा बिजली का व्यय पृथक से वास्तविक उपभोग के आधार पर देय होगा।

आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखः–

1. FSSAI Registration/License.
2. आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता एवं PAN की प्रति।
3. विगत वर्षों में सरकारी कार्यालय एवं निजी संस्थान में किये गये कार्य की सत्यापित प्रति।
4. रू0 10000/– (रू0 दस हजार मात्र) की एफ.डी.आर. (F.D.R), जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 'खनिज भवन', उत्तराखण्ड, भापालपानी, देहरादून के पक्ष में देय होगी।
5. किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट न किये जाने सम्बन्धी रू0 10/– के ई–स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति।
6. सभी शर्तों को स्वीकार करने का हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र।
7. कैन्टीन के संचालन हेतु न्यूनतम किराया रू0 1000/– (एक हजार मात्र) प्रति माह से अधिक किराया निर्धारित प्रारूप में भरा जाना है।
8. कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री का विक्रय मूल्य की सूची।

सामान्य शर्तेः–

1. कैन्टीन एवं उसके आस–पास की सफाई की सारी जिम्मेवारी कैन्टीन के संचालक की होगी तथा सफाई नियमित रूप से प्रति दिन की जाएगी इसका कड़ाई/दृढता से पालना की जाए। शिकायत प्राप्त होने पर पहली और दुसरी चेतावनी दी जाएगी तथा तीसरी शिकायत प्राप्त होने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अंतिम निर्णय निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, 'खनिज भवन', भापालपानी, देहरादून का होगा।

2. कैंटीन कार्यदिवस एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान खुला रहना अनिवार्य होगा। कार्यालय समय के अतिरिक्त कैंटीन का संचालन केवल विभागीय अनुमति से किया जा सकेगा।
3. खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिये सभी सामग्री जैसे घी, तेल, मसाले, आटा तथा सब्जियां आदि उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले तथा ताजा होनी अनिवार्य है। बासी अथवा निम्न गुणवत्ता की खाद्य सामग्री मिलने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
4. खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता सम्बन्धी FSSAI के समस्त मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. प्रयोग किये जाने वाले सामान का समय–समय पर विभागीय गठित समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, प्रशिक्षण में आए हुये प्रतिभागियों द्वारा खाने की गुणवत्ता के बारे में लिखित शिकायत प्राप्त होने पर निदेशक महोदय की स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा, तथा सुरक्षा राशि (Security Money) को जब्त कर दिया जायेगा।
6. बिजली का व्यय संचालक द्वारा वास्तविक उपभोग के आधार पर देय होगा।
7. कैंटीन का किराया प्रतिमाह 1–5 तारीख तक जमा करवाना होगा।
8. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ रू0 10,000 /– (रू0 दस हजर मात्र) एफ0डी0आर0 सुरक्षा राशि (Security Money) के रुप में जमा करवानी होगी, जिससे टूट–फूट संचालक द्वारा न करवाए जाने एवं किराया जमा न करवाने की अवस्था में जमा राशि मे से काट ली जाएगी और यदि आवेदक कैन्टीन संचालन की अवधि के मध्य में ही छोड़ता है तो यह समस्त सुरक्षा राशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।
9. सफल आवेदक द्वारा किसी शर्त/नियमों का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। ऐसा होने पर संचालक द्वारा कैन्टीन दौ से तीन दिवस के अन्तर्गत खाली करना होगा।
10. अनुबन्ध समाप्त होने पर कैंटीन परिसर एवं विभागीय सम्पत्ति यथास्थिति में वापस करनी होगी।
11. कैंटीन संचालक द्वारा अपने व्यय पर निर्धारित क्षमता के मानकयुक्त एवं वैध अवधि वाले अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) स्थापित किए जाएंगे।
12. कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार का नशा, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट अथवा मादक पदार्थों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
13. परिसर में किसी प्रकार का अवैध निर्माण अथवा परिवर्तन बिना अनुमति नहीं किया जाएगा।
14. सफल आवेदक को एक सप्ताह के अर्न्तगत कैन्टीन संचालित किया जाना आवश्यक होगा।
15. मूल्य वृद्धि केवल निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 'खनिज भवन', उत्तराखण्ड, भापालपानी, देहरादून की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही मान्य होगी।
16. अधिकतम बोली के साथ सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदक को कैन्टीन संचालन हेतु चयन किया जायेगा।
17. उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी होने वाले नियम/शर्त कैन्टीन संचालक को मान्य होगी।
18. किसी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, 'खनिज भवन', भापालपानी, देहरादून का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

<u>सुरक्षा धनराशिः–</u>

1. आवेदक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी रू0 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) की धनराशि को एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करायी जायेगी, जो निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, 'खनिज भवन', भोपालपानी, देहरादून के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक की जायेगी, जिसकी मूलप्रति आवेदन के

साथ जमा करायी जानी आवश्यक होगी। सुरक्षा राशि (Security Money) की मूल प्रति जमा न किये जाने की दशा मे ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से ग्राह्य नही होंगे।

2. यदि अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सुरक्षा धनराशि जब्त की जा सकेगी।
3. सफल आवेदक घोषित हो जाने के उपरान्त शेष आवेदकों की सुरक्षा राशि (Security Money) के रूप मे जमा की गयी एफ0डी0आर0 सम्बन्धित आवेदकों को वापस कर दी जायेगी।

अनुबन्ध की अवधिः–

1. कैंटीन संचालन की अवधि प्रारम्भ में 01 वर्ष होगी।
2. कार्य एवं सेवाएं संतोषजनक पाए जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 'खनिज भवन', उत्तराखण्ड, 'खनिज भवन', भापालपानी, देहरादून की स्वीकृति पर अनुबन्ध को अग्रेत्तर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

आवेदन का निरस्तीकरणः–

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 'खनिज भवन', उत्तराखण्ड, भापालपानी, देहरादून बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी कोटेशन (दर सूची) को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

चैक लिस्ट

आवेदकओं के द्वारा वांछित अभिलेख निम्नानुसार उपलब्ध करायी जायेगीः—

क्र0 सं0	विवरण	भरी जाने वाली सूचना	संलग्नक संख्या
1.	FSSAI Registration/License		
2.	आवेदक का आधार कार्ड		
3.	बैंक का नाम एवं खाता संख्या		
4.	PAN		
5.	विगत वर्षों में सरकारी कार्यालय एवं निजी संस्थान में किये गये कार्य की सत्यापित प्रति।		
6.	रू0 10000/— (रू0 दस हजार मात्र) की एफ.डी.आर. (F.D.R), जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 'खनिज भवन', उत्तराखण्ड, भापालपानी, देहरादून के पक्ष में देय होगी।		
7.	किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट न किये जाने सम्बन्धी रू0 10/— के ई—स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति।		
8.	सभी शर्तों को स्वीकार करने का हस्ताक्षरित घोषणा—पत्र।		
9.	कैन्टीन के संचालन हेतु किराया।		
10.	कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री का विक्रय मूल्य की सूची।		

आवेदक/आवेदकओं के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

कैन्टीन संचालन हेतु किरायाः–

क्र0सं0	कैन्टीन हेतु न्यूनतम किराया	कैन्टीन हेतु किराये की धनराशि रू0 एवं शब्दों में (आवेदक द्वारा भरी जाने वाली किराये की धनराशि)
1.	1000.00 (रू0 एक हजार मात्र)	

<u>कैंटीन हेतु निर्धारित विक्रय दर (**Menu**)</u>

क्र.सं.	खाद्य सामग्री	स्टाफ हेतु (धनराशि रू0 में)	आगन्तुक हेतु (धनराशि रू0 में)
1. प्रातः कालीन नाश्ताः–			
1.	चाय (100 ml)		
2.	कॉफी		
3.	समोसा (प्रति नग)		
4.	ब्रेड पकोड़ा		
5.	आलू/प्याज पकोड़ा (100 ग्राम)		
6.	वेज सैंडविच		
7.	छोले–भटूरे		
8.	आलू पराठा (दही सहित)		
9.	पनीर पराठा (दही सहित)		
2. दोपहर का भोजनः–			
1.	थाली (4 रोटी, दाल, सब्जी, चावल, रायता, सलाद)		
2.	राजमा–चावल/ कढ़ी–चावल/ चना–चावल/छोले–चावल		
3.	पनीर की सब्जी		
4.	मिक्स वेज		
5.	रोटी		

6.	तवा पराठा		
7.	चावल (फुल प्लेट)		
3. पैक्ड़ जलपान जैसे पैकेज्ड पानी, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, चीप्स, नमकीन आदि **MRP** अनुसार			

आवेदक/आवेदकओं के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

<u>घोषणा</u>

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तें हमें स्वीकार हैं तथा चयनित होने पर उनका पूर्णतः पालन करेंगे।

दिनांकः– ————————

स्थानः– ————————

आवेदक का नाम ————————————————————

हस्ताक्षर ————————————————

मोबाइल नं0 ————————————————

मुहर ————————————————